बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

आदेश संख्याः– 3/अ0प्र0–1–243/2011 1682 /पटना, दिनांक :– 16.11.21

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, भभुआ–2 के अधीन वर्ष 2010–11 में SRE मद अन्तर्गत योजना संख्या–6/2007–08 कुदरा थाना चहारदीवारी एवं पहुँच पथ में कनीय अभियंता द्वारा तैयार मिट्टी भराई कार्य के फर्जी विपत्र को वर्ष 2013 में सही मानकार आरोपी को बचाने का प्रयास करने संबंधी आरोपों पर श्री अजीत कुमार शर्मा, तदेन सहायक अभियंता, कार्य प्रमंडल भभुआ–2 के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 163 दिनांक 18.01.18 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई।

श्री शर्मा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक 17.06.2020 में यह उल्लेख किया गया कि कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल मोहनिया के जॉच आदेश के आलोक में उनके द्वारा दो कनीय अभियंता के साथ स्थल के गड्ढ़ा भराई की जॉच एवं वास्तविक स्थल मापी की गई। जॉच के समय कार्य स्थल पर गड्ढ़ा भरा हुआ पाया गया। गणना के फलस्वरूप मिट्टी की मात्रा सही पाई गई। टीम के स्थलीय जॉच के उपरांत कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 का0 वि0 के द्वारा भी उक्त कार्य का स्थल निरीक्षण किया गया एवं उनके द्वारा भी कार्य संतोष प्रदा पाया गया।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, भभुआ–2 के अधीन SRE मद से योजना संख्या–6/2007–08 अन्तर्गत कुदरा थाना चहारदीवारी एवं पहुँच पथ में मिट्टी भराई का कार्य कराया गया था। इस कार्य से संबंधित सहायक अभियंता, श्री नित्यानन्द कुमार द्वारा कनीय अभियंता श्री नरेश कुमार के विरूद्ध फर्जी विपत्र बनाकर सीधे प्रमंडलीय कार्यालय में जमा कराने का आरोप लगाते हुए विभाग को पत्र प्रेषित किया गया।

तत्पश्चात कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल भभुआ–2 द्वारा श्री अजित कुमार शर्मा, तदेन सहायक अभियंता एवं दो अन्य कनीय अभियंताओं की टीम गठित कर स्थल जॉच कराई गयी। जॉच टीम द्वारा दिनांक 29.01.2013 को स्थल जॉच में कार्य स्थल पर मिट्टी की मात्रा का आकलन किया गया एवं कुल 12270 वर्ग फीट में औसतन 7 फीट गहराई में मिट्टी भराई का कार्य किया हुआ पाया गया। साथ ही इस संबंध में ग्रामीणों से पूछ–ताछ तथा अभिश्रवों के अवलोकन के पश्चात जॉच दल द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया कि मापी पुस्त में कुल मिट्टी की अंकित मात्रा सही है। जॉच दल द्वारा समर्पित प्रतिवेदन को सही पाते हुए तदेन कार्यपालक अभियंता द्वारा समीक्षोपरान्त संबंधित कार्य का विपत्र पारित किया गया।

मामले की समीक्षोपरान्त कुदरा थाना चहारदीवारी एवं पहुँच पथ निर्माण कार्य में मिट्टी कार्य का विपत्र फर्जी होने का आरोप अप्रमाणित पाया गया।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री अजित कुमार शर्मा, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल भभुआ–2 सम्प्रति सेवानिवृत के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए उन्हें प्रश्नगत आरोप से मुक्त किया जाता है।

प्रस्ताव पर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

8.11.21

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–243/2011 1682 /पटना, दिनांकः– 16-11-21

प्रतिलिपि:– सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग,कार्य अंचल सासाराम/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोहनिया/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5, ग्रामीण कार्य विभाग/ श्री अजीत कुमार शर्मा, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, भभुआ–2 सम्प्रति सेवानिवृत पत्राचार का पता– पो0–रफीगंज (बाबूगंज), जिला–औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–243/2011 1682 /पटना, दिनांकः– 16-11-21

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उप सचिव

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in